प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :—

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :—

1. विभाग में पदस्थापित परियोजना पदाधिकारियों को वर्तमान में SPUR (तत्कालीन) के कार्यालय कक्ष में बैठने की व्यवस्था की गयी है। बैठक में परियोजना पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कमरा में लाईट की कमी के कारण कठिनाई हो रही है। निर्देश दिया गया कि उक्त कमरा में लाईट की समुचित व्यवस्था करायी जाय। **(अनुपालन :— श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)**
2. सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की विमुक्ति तथा Solid Waste Management अंतर्गत ठोस कचरा प्रसंस्करण के कार्यान्वयन की प्रगति का अपने आवंटित नगर निकायों के साथ अनुश्रवण करेंगे।
(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)
3. सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह में 2—3 दिन अपने आवंटित प्रमंडल के नगर निकायों में अनिवार्य रूप से भ्रमण कर योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे और योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विभाग से समन्वय करके निराकरण कराएंगे तथा भ्रमण का प्रतिवेदन अपने संबद्ध वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। वरीय पदाधिकारी नियमित रूप से परियोजना पदाधिकारी—सह—उप निदेशक के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। **(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)**
4. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन एवं महापौर/अध्यक्ष का पार्टी आधारित चुनाव तथा आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से study report प्राप्त किया जाय। **(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**
5. सभी विभागीय वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम में यदि कहीं कोई गड़बड़ी या कमी परिलक्षित होती है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसे नोट कर लें और इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक आयोजित कर निर्णय लें।
(अनुपालन :— सभी वरीय पदाधिकारी)
6. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि वर्तमान में कुछ नगर निकायों में निविदा निष्पादन का कार्य सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को तकनीकी जानकारी के अभाव रहने के कारण निविदा के विधि सम्मत निष्पादन में कठिनाई रहती है। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग स्तर से दिशानिर्देश निर्गत किया जाय। **(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**
7. हाल ही में 5 शहरों यथा बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, मुंगेर एवं पूर्णियां के आयोजना क्षेत्र का गठन किया गया है। इन आयोजना क्षेत्रों के लिए कर्मियों के पदों के सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदन के लिए संलेख तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित किया जाय।
(अनुपालन :— श्री हरिशंकर सिंह, सहायक नगर निवेशक)
8. पिछली बैठक में जानकारी दी गयी थी कि नगर निकायों में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने संबंधी सेवा नियमावली प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निर्देश दिया गया कि नियमावली प्रारूप में कर्मियों की प्रोन्नति के पद सोपान को भी सम्मिलित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु संचिका में 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

9. World Bank के माध्यम से बुडको के अभियंताओं एवं संवेदकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु बुडको को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

10. नगर निकायों के पदाधिकारियों/कर्मियों/जन प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु Integrated Capacity Building के तहत केन्द्रीय योजनाओं यथा AMRUT, DAY-NULM, SBM, HFA, PMAY, HRIDAY एवं Smart City Mission के लिए 3–4 संस्थाओं के साथ MOU किये जाने हेतु संचिका में माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त है, लेकिन अभी तक उन संस्थाओं के साथ MOU नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि इन संस्थाओं के साथ MOU किये जाने की कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाय।

(अनुपालन :– श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक)

11. SUH Committee की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

12. प्रभावी आदर्श आचार संहिता के आलोक में जिन मामलों में निर्वाचन विभाग से सहमति की आवश्यकता है, उनमें सर्वप्रथम मुख्य सचिव के स्तर पर गठित Screening Committee के अनुमोदन हेतु आत्मभारित टिप्पणी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तदनुसार इसे सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी पदाधिकारी)

13. गैर–तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव बुडको से शीघ्र प्राप्त किया जाय। इन पदों की समीक्षा श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक एवं श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से की जाय और एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय।

(अनुपालन :– श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)

14. TCPO के पूर्व से स्वीकृत पदों यथा आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर एवं कनीय अभियंता के पदों को अंगीकृत कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाय। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

15. विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यरत PMC/PMU तथा आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों के EPF एवं ESIC मद में कटौती की गयी राशि को संबंधित शीर्ष/संस्थाओं में नियमित रूप से जमा की जा रही है, इसका प्रमाण प्राप्त होने के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाएगा। संबंधित प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित सभी कर्मियों का EPF एवं ESIC मद में कटौती की जा रही राशि नियमित रूप से संबंधित शीर्ष/संस्था में जमा हो।

(अनुपालन :– संबंधित प्रभारी पदा०)

16. पिछली बैठक में संबंधित सभी योजनाओं, जिसके कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU गठित है, उनके नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि कंसल्टेंट/एजेंसी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पेज में प्रपत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसमें पिछले सप्ताह तक कितना कार्य हुआ और इस सप्ताह में कितने कार्य हुए, यह अंकित हो। उक्त निर्देश के आलोक में अभी तक यह प्रपत्र नमामि गंगे योजना एवं SLPMU के लिए तैयार हो पाया है, लेकिन NULM, HFA, MIS, AMRUT एवं SBM के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि NULM, HFA एवं MIS **के लिए यह प्रपत्र श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक**, AMRUT के लिए **श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता** तथा SBM के लिए **श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०पदा०** द्वारा तैयार की जाएगी और इस प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाएगा।

(अनुपालन :– सभी संबंधित पदाधिकारी)

17. संबंधित सभी योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट/एजेंसी के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा संपादित कार्यों के evaluation/deliverable के लिए भी प्रपत्र तैयार किया जाएगा और कार्यों के evaluation हेतु

Evaluation Committee का गठन किया जाय। Evaluation Committee द्वारा कंसल्टेंट/एजेंसी के कार्यों के evaluation एवं अनुशंसा के उपरांत ही भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी।

(अनुपालन :– संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)

18. कोर्ट केस के सभी मामलों यथा कोर्ट केस का पत्र संबंधित प्रशाखा को कब भेजा गया है, किन मामलों में SOF दायर हो चुका है, कितने मामलों का निष्पादन हो चुका है आदि का कम्प्यूटराईज्ड प्रतिवेदन तैयार किया जाय और इसे अनवरत रूप से अद्यतनीकरण किया जाय ताकि इसका समुचित अनुश्रवण हो सके।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–8)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/3/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1720 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 19/3/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2019

प्रधान सचिव